



2026:AHC:58712

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 1587 वर्ष 2026**

नाजिम और 8 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

गृह सचिव लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : आदर्श श्रीवास्तव, रीमा पाल

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या 78**

**माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना**

1. अभियुक्त-आवेदकों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदक संख्या 1/पति और अन्य आवेदकों/ससुराल वालों ने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का मांग किया है। आवेदक संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 का विवाह 24.01.2021 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। वैवाहिक कलह के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एफआईआर प्रतिवादी संख्या 2 के पिता ने पति और आठ अन्य ससुराल वालों, जिनमें सास-ससुर, जेठानी और जेठ शामिल हैं, के खिलाफ दर्ज कराई है। पक्षों के बीच समझौता हो चुका है, जो 30.01.2026 को दायर पूरक हलफनामे के पृष्ठ संख्या 6 पर है। वह इस न्यायालय से वाद संख्या 276/2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 09/2025 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 76, 352 और दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना सियाना, जिला बुलंदशहर में दर्ज तथा जो अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), न्यायालय संख्या 2, बुलंदशहर के समक्ष लंबित है, के दिनांक 21.08.2025 के संज्ञान आदेश और सम्पूर्ण कार्यवाही को समझौते के आधार पर रद्द करने की मांग करते हैं।



2. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को यदि पक्षकारों द्वारा गई परिस्थितियों में समझौता दाखिल करने के लिए अवर न्यायालय में जाते हैं तो उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3 को नोटिस जारी करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3 ही समझौते के पक्षकार हैं।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में (2012) 10 एससीसी 741** में यह टिप्पणी की कि वैवाहिक विवादों में होने वाले घरेलू झगड़े में घर के सभी परिवार के सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा, **कहकशान कौसर उर्फ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2022) 6 एससीसी 599** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498-ए के दुरुपयोग और पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर टिप्पणी की है।

5. **नरेंद्र कुमार और अन्य बनाम राज्य और अन्य के मामले में, जो 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 4048 (प्रासंगिक पैराग्राफ 21)** में प्रकाशित किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 और सीआरपीसी की धारा 482 (528 बीएनएसएस) के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सह-विस्तारित शक्तियों पर विचार करते हुए, गैर-समझौता योग्य अपराध में समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के मुद्दे पर, विशेष रूप से वैवाहिक मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर विचार करते हुए, यह राय व्यक्त की कि पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते और सुलह के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों में निहित अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।

6. क्या पक्षों (सूचनाकर्ता, पीड़ित और आरोपी) के बीच समझौता हुआ है, इसका निर्णय अवर न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः, पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर तीस दिनों के भीतर हुए समझौते को दाखिल कर सकते हैं, जिसकी अवर न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी। अवर न्यायालय मूल प्रति को अपने अभिलेख में रखेगी।

7. यदि सूचनाकर्ता, पीड़ित और आरोपी हस्ताक्षरकर्ता न हों और सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों, तो अवर न्यायालय किसी भी समझौते पर विचार नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ने पर अवर न्यायालय उचित विचार-विमर्श करके उचित आदेश पारित करेगी।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



8. यदि समझौता निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल और सत्यापित कर दिया जाता है, तो अवर न्यायालय की कार्यवाही साठ दिनों की अवधि के लिए स्थगित रखी जाएगी, अन्यथा अवर न्यायालय सुनवाई जारी रखेगी।

9. समझौता दाखिल करने और उसे सत्यापित करवाने वाले सभी पक्षकार तब आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करें।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, धारा 528 बीएनएसएस/482 सीआरपीसी के तहत आवेदन का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

20 मार्च, 2026

अभिषेक श्री .